हीरा व अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

20 जून, 2007

(न्यायाधिपति डाॅक्टर अरिजीत पसायत व डी. के. जैन)

साक्ष्य अधिनियम, 1972 :

पहचान/शिनाख्तगी परेड का साक्ष्यिक मूल्य - अन्वेषण प्रक्रम पर शिनाख्तगी परेड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य प्रथम धारणा के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि क्या उन सभी या किसी को अपराध के चश्मदीद साक्षियों के रूप में उदधृत किया जा सकता है- शिनाख्तगी परेड़ आयोजित करने की आवश्यकता केवल तभी उत्पन्न होती है जब गवाह अभियुक्त को पूर्व से नहीं जानते हों- यद्यपि, यह सारभूत साक्ष्य का गठन नहीं करती है- यह वांछनीय है कि अभियुक्त की गिरफतारी के तुरंत पश्चात पहचान परेड आयोजित की जानी चाहिए- परन्तु शिनाख्तगी परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में पहचान की साक्ष्य को अग्राह्य नहीं बनायेगी- समुचित मामलों में न्यायालय पुष्टि पर जोर दिए बिना भी

पहचान की साक्ष्य को स्वीकार कर सकती है- दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 162- धारा 9- सुसंगत तथ्य

अभियोजन के अनुसार, अपीलार्थी- अभियुक्तगण ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर परिवादी पर लाठियों से हमला किया तथा पेट्रोल पम्प के बॉक्स जिसमें नकदी पड़ी थी, ले गये। परिवादी के चेहरे और हाथों पर चोटें कारित कीं। नकदी पड़ी थी, उसे भी ले गये। अपीलार्थीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

विचारण न्यायालय ने गवाहों की साक्ष्य को विश्वसनीय व अकाट्य होना पाया। शिनाख्तगी परेड़ में गवाह पी डब्ल्यू-1 व पी डब्ल्यू-11 द्वारा अपीलार्थीगण की पहचान की गई। अपीलार्थीगण द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, 1872 की सूचना के आधार पर बरामदगी भी हुई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया गया तथा उक्त दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया। अतः अपील की गई।

अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि गवाह पी डब्ल्यू-22 की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि शिनाख्तगी परेड़ से पूर्व समस्त आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण की गई।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने धारित किया 1. शिनाख्तगी परेड़ आयोजित करने की आवश्यकता केवल तभी हो सकती है जब गवाह

अभियुक्त को पूर्व से नहीं जानते हों। शिनाख्तगी परेड़ का सम्पूर्ण उद्देश्य यह है कि जो गवाह घटना के समय दोषियों को देखने का दावा करते हैं उन्हें बिना किसी सहायता या अन्य किसी स्त्रोत के अन्य व्यक्तियों के बीच में से उनकी पहचान करनी होती है। परीक्षण उनकी सत्यता की जांच करने के लिये किया जाता है। दूसरे शब्दों में, अन्वेषण प्रक्रम पर शिनाख्तगी परेड़ आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य प्रथम धारणा के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना तथा अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि क्या उन सभी या उनमें से किसी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। शिनाख्तगी की कार्यवाही परीक्षण की प्रकृति की है और महत्वपूर्ण रूप से है, यद्यपि दण्ड़ प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इस हेतु कोई प्रावधान नहीं है। यह वांछनीय है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत बाद शिनाख्तगी परेड़ आयोजित की जानी चाहिये। शिनाख्तगी परेड़ से पूर्व अभियुक्त को गवाहों को दिखाये जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। यह अभियुक्त का एक सामान्य तर्क है और अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिये सावधान रहना होगा कि इस तरह के आरोप की कोई गुंजाइश न रहे। यद्यपि, यदि परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर है और कुछ विलम्ब हो जाता है तो इसे अभियोजन पक्ष के लिये घातक नहीं कहा जा सकता।

(पैरा 6) (1069-ई-एच, 1070-ए)

मत्रु बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (1971) 2 एस सी सी 75 व संतोषसिंह बनाम इजहार हुसैन (1973) 2 एस सी सी 406 पर निर्भरता व्यक्त की गई।

2. वे तथ्य जो अभियुक्तगण की पहचान स्थापित करते हैं, धारा 9 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत है। एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह की सारभूत साक्ष्य न्यायालय में दिया गया बयान है। विचारण के दौरान प्रथम बार अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान अपनी प्रकृति से ही स्वाभाविक रूप से एक कमजोर प्रकृति की है। शिनाख्तगी परेड का पूर्व में ही आयोजित करने का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता को मजबूत करना है। तद्नुसार यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि सामान्यतया न्यायालय में गवाहों की सशपथ साक्ष्य की पुष्टि की जाए जो कि पूर्व की पहचान कार्यवाही के रूप में अभियुक्तों की पहचान के रूप में उनके लिए अजनबी है। विवेक का यह नियम यद्यपि अपवादों के अधीन है उदाहरण के लिए न्यायालय किसी विशेष गवाह से प्रभावित होता है, जिसकी साक्ष्य पर वह ऐसी या अन्य किसी पुष्टि के बिना भी सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। शिनाख्तगी परेड़ अन्वेषण के प्रक्रम से संबंधित है, और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अन्वेषण अधिकरण को आयोजित करने के लिए बाध्य करता है या आरोपी

को एक पहचान परेड़ का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है। वे सारभूत साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं और ये परेड़ अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 162 द्वारा नियंत्रित होती है। शिनाख्तगी परेड़ आयोजित करने की विफलता न्यायालय में पहचान की साक्ष्य को अग्राह्य नहीं बनायेगी। ऐसी पहचान को महत्व देना न्यायालयों के लिए एक तथ्य का प्रश्न हो सकता है, समुचित मामलाेंं में पहचान की साक्ष्य को पुष्टि पर जोर दिए बिना भी स्वीकार कर सकता है।

कांता प्रसाद बनाम देहली प्रशासन, ए आई आर (1958) एस सी 350, वैकुंटम चंद्रप्पा बनाम आंध्रप्रदेश राज्य , ए आई आर (1960) एस सी 1340, बुधसेन बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, ए आई आर (1970) एस सी 1321 व रामेश्वरसिंह बनाम जम्मु व कश्मीर राज्य, ए आई आर (1972) एस सी 102, पर निर्भरता व्यक्त की गई।

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय में अभियुक्त की पहचान को बहुत अधिक साक्ष्यिक मूल्य से जोड़ा नहीं जा सकता है जहां पहचान करने वाला गवाह पूरी तरह से अजनबी है जिसकी पहचान किए गए व्यक्ति की केवल एक क्षणिक झलक थी जिसके पास संबंधित व्यक्ति को याद करने का कोई विशेष कारण नहीं था, यदि न्यायालय में प्रथम बार पहचान की जाती है (पैरा 11) (1072-डी) जदूनाथ सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, (1970) 3 एस सी सी 518, प्रकाशचन्द्र सोगानी बनाम

राजस्थान राज्य (आपराधिक अपील संख्या 92/1956 निर्णय दिनांक 15.01.1957 एस सी) व हबानासिंह बनाम जम्मु व कश्मीर राज्य, (1975) 4 एस सी सी 480, रामनाथ महतो बनाम बिहार राज्य (1996) 8 एस सी सी 630 ए सुरेश चन्द्र बाहरी बनाम बिहार राज्य (1995) सप्ली. 1 एस सी सी 80, उत्तरप्रदेश राज्य बनाम बूटासिंह, (1979) 1 एस सी सी 31, रमनभाई नरेनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य (2000) 1 एस सी सी 358 तथा मुंशीसिंह गौतम बनाम मध्यप्रदेश राज्य, (2005) 9 एस सी सी 631 उदधृत किया गया।

राज्य (देहली प्रशासन) बनाम वी.सी.शुक्ला, ए आई आर (1980) एस सी 1382, राजेश गोविन्द जगेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए आई आर (2000) एस सी 160 व हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेखराज, ए आई आर (1999) एस सी 3916, उद्धृत की गई।

4. इस मामले में आरोपी व्यक्तियों की पहचान पी डब्ल्यू-1 व पी डब्ल्यू-11 द्वारा की गई तथा उनकी साक्ष्य में कोई दुर्बलता नहीं पाई गई। इसके अलावा पी डब्ल्यू-22 की साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शिनाख्तगी परेड़ के संबंध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की गई और अनुसरित की गई। (पैरा 17) (1070-ई-एफ)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1307/2006

एस. बी. आपराधिक अपील संख्या 94/2002 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 02.12.2005 से

अपीलार्थीगण की ओर से तनुज बग्गा शर्मा (एस सी)।

नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद, शाश्वत गुप्ता और अरूणेश्वर गुप्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉक्टर अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौति दी गई थी जिसमें भारतीय दण्ड़ संहिता 1860 की धारा 395 के तहत दण्ड़नीय अपराध में अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास व 2000/- रूपये के जुर्माने से दण्ड़ित करने व अदम अदायगी जुर्माने के दण्ड़ जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया गया को यथावत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्ड़ादेश को बरकरार रखा गया। जबकि 5 सहअभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया।

2. संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:-

दिनांक 24.01.1997 को प्रेमसिंह ने एक मौखिक रिपोर्ट यह अभिकथित करते हुए दर्ज करायी कि वह विगत 3 वर्षों से लावरी पेट्रोल

पम्प पर कार्य कर रहा है। रात्रि लगभग 2 बजे जब वाहन पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं आ रहे थे, वे अपने कार्यालय में विश्राम कर रहे थे। कार्यालय के बाहर दो टेंकर खड़े थे। कार्यालय में कुक कन्हैयालाल, भीमसिंह और फतेहसिंह सो रहे थे। उस समय पेंट शर्ट और स्वेटर पहने लगभग 7 व्यक्ति वहां आए और कार्यालय की ओर पत्थर फैंकने लगे जिससे शीशे टूट गए। इस पर वे जागे। तीन आरोपी व्यक्ति उनकी ओर आए और उन्हें लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, जिस पर उसने लाठी उठाई और आरोपी को लाठी से पीटना शुरू कर दिया, जिस पर सभी आरोपी उस पर गिर गए। दो व्यक्तियों ने केश बॉक्स को तौड़ना शुरू कर दिया। परिवादी प्रेमसिंह ने शोर मचाया, जिसे सुनकर उसके पड़ौसी श्री भगवती प्रसाद जोशी वहां आए। उसे भी अभियुक्तगण द्वारा पीटा गया। अभियुक्तगण केश बॉक्स में रखी नकदी को ले गए। अभियुक्तगण केश बॉक्स में रखे लगभग 10-12 हजार रूपये ले गए।

3. उक्त रिपोर्ट पर धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और अन्वेषण प्रारंभ किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने पर, आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा 37 गवाहों से पूछताछ की गई। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा विचारण चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा गवाहों की साक्ष्य को विश्वसनीय और अकाट्य होना पाया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिनाख्तगी

परेड़ में ए 1 हीरा] ए 6 नोपा जो कि वर्तमान अपीलार्थीगण हैं, की पहचान की गई। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, 1872 (साक्ष्य अधिनियम) की सूचना के अनुसरण में बरामदगी भी की गई। अभियुक्तगण की शिनाख्तगी परेड़ श्री महेन्द्र कुमार, सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित की गई। पी डब्ल्यू-1 प्रेमसिंह ने ए 1 और ए 6 की पहचान की। पी डब्ल्यू-11 भंवरसिंह ने ए 1 हीरा की पहचान की। जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा सभी 7 अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया और अपील में वर्तमान अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया था।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील के समर्थन में निवेदन किया कि 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। ऐसा कोई कारण नहीं था कि क्यों अपीलार्थीगण को ही दोषी करार दिया गया। पी डब्ल्यू-4 भगवती प्रसाद आहत का पड़ौसी था। यह भी निवेदन किया गया कि गवाह पी डब्ल्यू-22 पूरण पुरी की साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि शिनाख्तगी परेड़ से पूर्व सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की गई।

5. दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

6. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मत्रु बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (1971) 2 एस सी सी 75 में प्रेक्षित किया गया कि शिनाख्तगी परीक्षण

सारभूत साक्ष्य निर्मित नहीं करती है। प्राथमिक रूप से अन्वेषण अभिकरण को इस आश्वासन के साथ मदद करने के उद्देश्य से कि अपराध की जांच के साथ उनकी प्रगति सही दिशा में आगे बढ़ रही है, अन्वेषण अभिकरण की मदद करना है। पहचान केवल न्यायालय में किये गये कथन की पुष्टि के लिए उपयोग में लाई जा सकती है (देखे संतोकसिंह बनाम इजहार हुसैन, (1973) 2 एस सी सी 406) पहचान परेड़ आयोजित करने की आवश्यकता तभी उत्पन्न होती है जब अभियुक्त को गवाह पहले से नहीं जानते हों। शिनाख्तगी परेड़ का पूर्ण उद्देश्य यह है कि जो गवाह घटना के समय दोषियों को देखने का दावा करते हैं, उन्हें बिना किसी सहायता या किसी अन्य स्त्रोत के अन्य व्यक्तियों के बीच से उनकी पहचान करनी होती है। परीक्षण उनकी सत्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में पहचान परेड़ आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान के दौरान पहली धारणा के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि उन सभी या किसी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। पहचान की प्रक्रिया परीक्षण की प्रकृति की है और महत्वपूर्ण रूप से इसलिए संहिता और साक्ष्य अधिनियम में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह वांछनीय है कि शिनाख्तगी परेड़ अभियुक्त की गिरफ्तारी के शीघ्र बाद आयोजित की जानी चाहिए। शिनाख्तगी परेड़ से पूर्व अभियुक्त को गवाहों को दिखाये जाने की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए यह

आवश्यक हो जाता है। यह अभियुक्त की ओर से बहुत ही सामान्य तर्क है और इसलिए अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि इस तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न रहे। यद्यपि परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर है और कुछ विलम्ब होता है तो इसे अभियोजन के लिए घातक नहीं कहा जा सकता।

7. यह कहना तुच्छ है कि न्यायालय में पहचान की साक्ष्य ही सारभूत साक्ष्य होती है। दूसरी तरफ साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है, इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों से इस संबंध में विधि की सुस्थापित स्थिति है। एक सामान्य नियम के रूप में एक गवाह की सारभूत साक्ष्य न्यायालय में दिया गया बयान है। विचारण में प्रथम बार अभियुक्त की मात्र पहचान की साक्ष्य अपनी प्रकृति से स्वाभाविक रूप से एक कमजोर प्रकृति की है। इसलिए पहचान परीक्षण पूर्व में कराने का उद्देश्य यह है कि साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना है। तद्नुसार यह विवेक का यह सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर न्यायालयों में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए जो कि पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में अभियुक्तों की पहचान के रूप में उनके लिए अजनबी है। हालांकि विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, उदाहरण के लिए, जब न्यायालय किसी विशेष गवाह से प्रभावित होता है, जिसकी साक्ष्य पर वह इस तरह या

अन्य पुष्टि के बिना सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। पहचान परेड़ अन्वेषण के प्रक्रम से संबंधित है और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अन्वेषण ऐजेंसी को आरोपी को एक परीक्षण पहचान परेड़ का दावा करने का अधिकार देने के लिए बाध्य करता है। वे सारभूत साक्ष्य निर्मित नहीं करते हैं और यह परेड़ संहिता की धारा 162 के द्वारा नियंत्रित होती है। परीक्षण पहचान परेड़ आयोजित करने में विफलता अदालत में पहचान की साक्ष्य को अग्राह्य नहीं बनाएगी। ऐसी पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला भार तथ्य न्यायालय के लिए एक मामला होना चाहिए। उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान की साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है (देखें- कांताप्रसाद बनाम देहली प्रशासन, ए आई आर (1958) एस सी 350, वैकंटम चंद्रप्पा व अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य, ए आई आर (1960) एस सी 1340, बुद्धसेन व अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, ए आई आर (1970) एस सी 1321 तथा रामेश्वरसिंह बनाम जम्मु व कश्मीर राज्य, ए आई आर (1972) एस सी 102)

8. जदुनाथसिंह व अन्य बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, (1970) 3 एस सी सी 518 में यह तर्क दिया गया कि सभी मामलों में पहचान परेड़ की अनुपस्थिति घातक है जिसे इस न्यायालय द्वारा व्यापक विचार के बाद खारिज कर दिया गया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें गवाहों ने कुछ समय तक आरोपी को देखा था। उच्च न्यायालय ने पाया था कि गवाह

स्वतंत्र गवाह थे जिनका मृतक के साथ कोई संबंध नहीं था और अपीलार्थी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने दावा किया था कि वे अपीलार्थीगण को पिछले 6-7 वर्षों से जानते हैं क्योंकि वे अक्सर बेवाड़ शहर का दौरा करते थे। इस न्यायालय ने पूर्व के अप्रकाशित निर्णय में प्रकाश चन्द्र सोगानी बनाम राजस्थान राज्य (आपराधिक अपील संख्या 92/1956 निर्णय दिनांक 15 जनवरी, 1957) जिसमें यह प्रेक्षित किया गया था:-

> "यह एक बचाव पक्ष का मामला भी है कि शिवलाल अपीलार्थी को नहीं जानते थे लेकिन पी डब्ल्यू-7 की साक्ष्य को पढ़ने पर हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिवलाल अपीलार्थी को मौके से जानते थे। यद्यपि उन्होंने अपने नाम के बारे में कैलाश चन्द्र के रूप में उल्लेख करके गलती की, लेकिन शिवलाल की जानकारी में ही अपीलकर्ता मानकचंद का भाई था और उन्होंने उसकी पहचान उसी के रूप में की। ये परिस्थितियां यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पहचान परेड़ की अनुपस्थिति सबूत को दुषित नहीं करेगी। एक व्यक्ति जो मानकचंद के भाई के रूप में मौके से अच्छी तरह पहचाना गया था, यद्यपि घटना होने से पूर्व ही चिन्हित किए जाने के लिए पहचान परेड़ के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें नहीं लगता कि इस तर्क का

कोई औचित्य है कि पहचान परेड़ की अनुपस्थिति या उनके नाम के बारे में की गई गलती आवश्यक रूप से कथित परिस्थितियों में अभियोजन मामले के लिये घातक होगी।"

9. न्यायालय ने निष्कर्षित किया:-

"यह हमें महसूस होता है कि प्रकाशचन्द्र सोगानी बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा) (ए आई आर क्रिमिनल लॉ जरनल) में स्पष्ट रूप से अभिकथित किया कि सभी मामलों में पहचान परीक्षण की अनुपस्थिति घातक नहीं है और यदि अभियुक्तगण को मौके से ही भली-भांति पहचान लिया गया हो तो पहचान के लिये उसे प्रस्तुत करना समय की बर्बादी होगी। बेशक यदि अभियोजन पक्ष इस तर्क पर एक पहचान रखने में विफल रहता है कि गवाह पहले से ही आरोपी को अच्छी तरह से जानते थे और यह विचारण के दौरान स्पष्ट होता है कि गवाह अभियुक्त को पहले से नहीं जानते थे, अभियोजन पक्ष अपना मामला खोने का जोखिम उठायेगा।"

10. हरभजनसिंह बनाम जम्मु व कश्मीर राज्य, (1975) 4 एस सी सी 480 में इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय में पहचान पर आधारित दोषसिद्धि जो अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पुष्ट थी, के आधार पर की गई दोषसिद्धि को यथावत रखा गया। उस मामले में यह पाया गया

कि अपीलार्थी और एक गुरमुखसिंह रोल कोल के समय अनुपस्थित थे और जब उन्हें 16 दिसम्बर, 1971 की रात को गिरफ्तार किया गया तो उनकी राइफलों से ताजा बारूद की बदबू आ रही थी और अपराध स्थल पर मिले खाली कारतूस केस पर विशिष्ट निशान थे जिससे पता चलता है कि उस गोली से मृतक मारा गया था जो कि अपीलार्थी द्वारा चलाई गई थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि:-

> "इस पुष्टिकारक साक्ष्य को देखते हुए हम अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि अनुसंधान अधिकारी को पहचान परेड आयोजित की जानी चाहिए थी और मुंशीराम द्वारा पड़ौसियों को दो अभियुक्तों के नाम जो कि घटनास्थल पर घटना के तुंरत बाद आ गये थे, बताने में असमर्थता यह प्रकट करती है कि उसकी कहानी सत्य नहीं है। जैसा इस न्यायालय ने जदुनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए आई आर (1971) एस सी 363 में प्रेक्षित किया कि पहचान परीक्षण की अनुपस्थिति आवश्यक रूप से घातक नहीं है। यह तथ्य कि मुंशी राम ने गांव वालों के समक्ष दो अभियुक्त के नाम प्रकट नहीं किये तथा यह बताया कि वह अभियुक्त को पूर्व से नहीं जानता था और यह कहानी कि अभियुक्तों ने एक दूसरे को अपने

नामों से संदर्भित किया, घटना के क्रम में अतिशयोक्ति का एक तत्व है। मामला केवल मुंशीराम अकेले की साक्ष्य पर निर्भर नहीं हो सकता और पुष्टिकारक परिस्थितियां हमारे द्वारा पूर्व में उल्लेखित किया गया अपीलार्थी की संलिप्तता के लिये पर्याप्त विश्वास है।"

11. यह संदेह सही नहीं है कि न्यायालय में अभियुक्त की पहचान के लिये जहां पहचान करने वाला गवाह पूरी तरह से अजनबी है जिसके पास पहचाने गये व्यक्ति की केवल एक क्षणिक झलक थी या जिसके पास संबंधित व्यक्ति को याद रखने का कोई विशेष कारण नहीं था, यदि पहचान न्यायालय में प्रथम बार की गई है, को अधिक साक्ष्यिक मूल्य के रूप में जोड़ा नहीं जा सकता।

12. राम नाथ महतो बनाम बिहार राज्य, (1996) 8 एस सी सी 630 में इस न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को तब भी बरकरार रखा जब गवाह ने अदालत में गवाही देते समय ड़र से आरोपी की पहचान नहीं की, हालाँकि उसने परीक्षण पहचान परेड में उसकी पहचान की थी। इस अदालत ने विचारण न्यायालय की टिप्पणी पर ध्यान दिया, जिन्होंने इस व्यवहार के बारे में अपनी टिप्पणी दर्ज की थी कि गवाह शायद आरोपी से ड़रता था क्योंकि वह राम नाथ- आरोपी को घूरते हुए कांप रहा था। इस न्यायालय ने पी डब्ल्यू-7 मजिस्ट्रेट की साक्ष्य पर भी भरोसा किया जिसने

शिनाख्तगी परेड संचालित की जिसमें गवाह ने अपीलार्थी की पहचान की थी। इस न्यायालय ने पाया कि इन परिस्थितियों में यदि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया था, तो इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।

13. सुरेश चंद्र बहारी बनाम बिहार राज्य, (1995) पूरक 1 एस. सी. सी. 80 में अभिनिर्धारित किया कि यह सुस्थापित है कि गवाह की सारभूत साक्ष्य न्यायालय में हुई उसकी साक्ष्य है। परन्तु जब आरोपी व्यक्ति संबंधित गवाह को पहले से ज्ञात नहीं है, तो गवाह द्वारा उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी की पहचान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वास देता है कि जाँच सही दिशा में आगे बढ़ रही है जिसके क्रम में गवाह द्वारा दी गई साक्ष्य की पुष्टि बाद में विचारण के दौरान की गई। इस मत से यह अन्वेषण अभिकरण और अभियुक्त तथा समुचित न्याय प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐसी पहचान अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् बिना किसी अपरिहार्य और अनुचित विलम्ब के की जावे। ऐसी प्रक्रिया का अपनाया जाना न केवल अभियुक्त बल्कि अभियोजन के लिये भी न्यायपूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करना है। इसके बाद न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि:-

> "परन्तु परिस्थिति भिन्न हो सकती है जबकि अभियुक्त या दोषी जो विचारण का सामना कर रहा है, न केवल एक बार

देखा गया परन्तु जो कई बार विभिन्न समयों और स्थानों पर देखा जा चुका हो, ऐसा तथ्य पहचान परेड़ की आवश्यकता को अलग कर सकता है।"

14. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बूटा सिंह व अन्य (1979) 1 एस सी सी 31 में इस न्यायालय द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि पहचान की साक्ष्य मजबूत हो जाती है यदि गवाहों को अभियुक्त को कुछ मिनटों के लिए नहीं बल्कि कुछ समय के लिए दिन के उजाले में देखने का अवसर मिलता है, तो वह आरोपी की विशेषताओं को कुछ मिनटों के लिये अंधेरी रात में देखने की तुलना में अधिक सावधानी से देख पायेगा।

15. रमनभाई नरेनभाई पटेल व अन्य बनाम गुजरात राज्य, (2000) 1 एस. सी. सी. 358 में पूर्व के निर्णयों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि:-

"विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह कहा जाता है कि गवाहों को अभियुक्त के नाम दिए हैं तो उक्त परिस्थितियों में ऐसे नामित अभियुक्त की पहचान केवल न्यायालय में करना जबकि अभियुक्त को गवाह पूर्व से नहीं जानते थे, महत्वहीन समझा जाएगा। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप इस न्यायालय द्वारा राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम वी. सी. शुक्ला, ए. आई. आर. (1980)

एस. सी. 1382 के मामले में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई जिसमें भी न्यायाधिपति फजल अली ने तीन न्यायाधिपतियों की बैंच की ओर से इस संबंध में समान प्रेक्षण किया। उस मामले में बिना किसी पूर्व पहचान परेड़ के गवाह की साक्ष्य और उसके द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में पहचाने जाने को महत्वहीन कवायद होना पाया गया था। उस मामले में अभिव्यक्त विचार चश्मदीद साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य की प्रकृति तक ही सीमित थे। तब यह नहीं कहा जा सकता जैसाकि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा तर्क दिया गया कि शिनाख्तगी परेड़ की अनुपस्थिति में चश्मदीद साक्षी की अभियुक्त को पहचानने के संबंध में दी गई साक्ष्य अग्राह्य अथवा पूर्णतया महत्वहीन है, जबकि साक्ष्य विश्वास करने योग्य होगी या नहीं हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यद्यपि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा दिया गया यह तर्क सही है कि इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती निर्णय राजेश गोविन्द जगेशा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. (2000) एस. सी. 160 तथा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेखराज ए आई आर (1999) एस सी, 3916 एच. पी. राज्य बनाम को

उपरोक्त इस न्यायालय के तीन न्यायाधिपतियों की बैंच द्वारा विचारित नहीं किया गया। जबकि हमारे मत में इस न्यायालय के पश्चात्वर्ती उपरोक्त निर्णय का अनुपात यह नहीं कहा जा सकता कि तीन न्यायाधिपतिगण द्वारा पारित पूर्व निर्णय के विपरीत है। उक्त निर्णय पारित करते समय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्य और परिस्थितियों को परखा गया। परंतु यदि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह तर्क माना जावे कि उक्त दो आहत गवाह भोगीलाल रणछोडभाई और करसनभाई वल्लभभाई द्वारा अभियुक्त को पहचाना जाना अभियोजन की कोई सहायता नहीं करता, यह तथ्य शेष रहता है कि ये चश्मदीद साक्षीगण गम्भीर रूप से आहत थे और वे उन व्यक्तियों के चेहरे आसानी से देख सकते थे जिन्होंने उन पर हमला किया और उनका रूप-रंग और पहचान उनके मस्तिष्क में विशिष्ट रूप से अंकित हो गई, विशेषतः जब उन पर दिन की पूर्ण रोशनी में हमला किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक अभियुक्त जिसने उन पर हमला किया था को बचाकर निर्दोष लोगों को आरोपित करने में उनकी दिलचस्पी हो।"

16. यह दृष्टिकोण हाल ही में मुंशीसिंह गौतम (मृतक) व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2005) 9 एस. सी. सी. 631 में चिन्हित किया गया।

17. हस्तगत मामले में अभियुक्त गवाह पी डब्ल्यू-1 और पी डब्ल्यू-11 द्वारा पहचाने गए थे और उनकी साक्ष्य में किसी प्रकार की कोई दुर्बलता नहीं पाई गई। इसके अलावा गवाह पी डब्ल्यू-22 की साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि शिनाख्तगी परेड़ के संबंध में सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताओं का पालन और अनुसरण किया गया। मामले के उक्त दृष्टिकोण में अपील में कोई सार नहीं है, तद्नुसार अपील खारिज की जाती है।

18. हम सुश्री तनुज बग्गा शर्मा, विद्वान न्याय मित्र द्वारा इस न्यायालय की सहायता हेतु सराहना करते हैं।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार पंचोली, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।